RajbhashaHindi.com

info@rajbhashahindi.com | +91 7980006871

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

UPSC | SSC JHT | बैंक | PSU | संसदीय राजभाषा समिति | विभागीय राजभाषा परीक्षा हेतु सम्पूर्ण मार्गदर्शिका

संस्करण: 2026-27 | © RajbhashaHindi.com | अध्ययन सामग्री | केवल शैक्षणिक उपयोग हेतु |हेल्पलाइन नंबर: +91 7980006871 | ईमेल: info@rajbhashahindi.com

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह अध्ययन सामग्री केवल शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को राजभाषा संबंधी विषयों का सरल, व्यवस्थित एवं परीक्षा-उन्मुख अध्ययन उपलब्ध कराना है।

इस पुस्तक में सम्मिलित तथ्य, अवधारणाएँ एवं संदर्भ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रकाशित "राजभाषा" संदर्भ पुस्तिका सहित भारत सरकार के विभिन्न आधिकारिक दस्तावेज़ों, अधिनियमों, नियमों, संकल्पों, कार्यालय ज्ञापनों एवं अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर संकलित, संपादित एवं सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं।

यह प्रकाशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) अथवा भारत सरकार का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है, न ही इसे किसी सरकारी विभाग द्वारा अनुमोदित (Approved), प्रमाणित (Certified) अथवा अधिकृत (Authorized) किया गया है।

यद्यपि सामग्री की शुद्धता एवं अद्यतनता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है, तथापि किसी प्रशासनिक, विधिक, न्यायिक अथवा आधिकारिक प्रयोजन के लिए संबंधित विभाग द्वारा जारी मूल अधिनियम, नियम, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन अथवा आधिकारिक प्रकाशन ही अंतिम एवं प्रामाणिक माना जाएगा।

स्रोत (Source) - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा प्रकाशित "राजभाषा" संदर्भ पुस्तिका।

राजभाषा हिंदी rajbhashahindi.com

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

1 राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उपबंध है?
2 राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।
3 अष्टम अनुसूची के अंतर्गत कौन-कौन सी भाषाएँ आती हैं?
4 हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
5 राजभाषा और राष्ट्रभाषा को स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताइए।
6 हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया?
7 प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति पर टिप्पणी लिखिए।
8 स्वाधीन देशों में राजभाषा क्यों आवश्यक है?
9 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा क्या होगी?
10 राजभाषा अधिनियम, 1963 से आप क्या समझते हैं?
11 धारा 3(3) से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले कागजात कौन-कौन से हैं?
12 धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है?
13 क्या 'क' क्षेत्र में धारा 3(3) के कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकते हैं?
14 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) क्या है?
15 कार्यालय में प्रयोग होने वाली सामग्री के अनुवाद के बारे में सरकार की क्या व्यवस्था है?
16 हिंदी अनुवादक द्वारा एक दिन में कितना अनुवाद किया जाना चाहिए?
17 हिंदी अनुवादकों का मुख्य कार्य क्या है?
18 हिंदी अधिकारियों के कर्त्तव्य क्या हैं? क्या उनसे निर्धारित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिए जा सकते हैं?
19 राजभाषा नियम, 1976 को स्पष्ट करें।
20 राजभाषा नियम, 1976 के अधीन 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों का वर्गीकरण तथा उद्देश्य स्पष्ट करें।
21 हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है?
22 हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है?
23 किसी कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व किसका है?
24 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय किसे कहते हैं?
25 राजभाषा नियम 5 क्या है?
26 सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली मुहरों के विषय में सरकार के क्या निर्देश हैं?
27 क्या सार्वजनिक स्थानों पर लगे बोर्ड केवल अंग्रेजी में हो सकते हैं?
28 क्या 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त केवल हिंदी में जारी किए जा सकते हैं?
29 क्या राजभाषा संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है?

30 क्या हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इसकी प्रविष्टि की जा सकती है?
31 नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने का क्या तात्पर्य है?
32 राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित जाँच बिन्दुओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
33 सरकारी कामकाज में किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करना चाहिए?
34 फाइल पर टिप्पणी किस भाषा में लिखनी चाहिए?
35 क्या हिंदी टंकण न जानने वाले टंककों को कार्यालय में ही टंकण कार्य सिखाया जा सकता है?
36 हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के बारे में सरकार के क्या निर्देश हैं?
37 राजभाषा के प्रसार हेतु गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं?
38 राजभाषा संकल्प, 1968 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
39 'त्रिभाषा सूत्र' से आप क्या समझते हैं?
40 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के बारे में क्या निर्देश हैं?
41 राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए गठित विभिन्न समितियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
42 संसदीय राजभाषा समिति का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
43 संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
44 संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रेक्षणों (Observations) में किन बातों पर विशेष बल दिया है?
45 क्या केन्द्र सरकार के कार्यालयों के विज्ञापन केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हो सकते हैं?
46 देवनागरी लिपि से क्या तात्पर्य है?
47 अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाएँ किन लिपियों में लिखी जाती हैं?
48 हिंदी के संख्यावाचक शब्दों के मानक रूप क्या हैं?
49 सरकारी कार्यालयों में किन अंकों का प्रयोग करना चाहिए?
50 हिंदी में किसी व्यक्ति के नाम का संक्षिप्ताक्षर लिखने की विधि क्या है?
51 केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की महत्ता पर प्रकाश डालिए।
52 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक क्या हैं?
53 किसी कार्यालय की गृह पत्रिका में किस प्रकार की सामग्री दी जानी चाहिए?
54 क्या सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में हिंदी का ऐच्छिक प्रयोग किया जा सकता है?
55 राजभाषा विभाग की अवधारणा तथा उसके कार्यक्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
56 केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का सामान्य परिचय दीजिए।
57 विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है और अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं?
58 'हिंदी' शब्द किस भाषा का है?
59 हिंदी किस क्षेत्र की भाषा है?
60 तकनीकी शब्दावली का निर्माण कौन करता है?

info@rajbhashahindi.com +917980006871

प्रश्न 1: राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उपबंध है?

उत्तर: केन्द्र सरकार के कार्यालयों एवं मंत्रालयों, इसके द्वारा नियुक्त आयोगों, समितियों एवं अधिकरणों के कार्यालयों में तथा इसके स्वामित्व या नियंत्रणाधीन निगमों या कंपनियों के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। परंतु संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से पहले उक्त भाषा का प्रयोग किया जाता था। इस अनुच्छेद में यह भी उपबंध किया गया है कि यदि आवश्यकता हो तो संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग की उक्त अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

प्रश्न 2: राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

उत्तर: संविधान के भाग-17 के चार अध्यायों में 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधित पूर्ण विवरण है। इनमें संघ की भाषा (343-344), प्रादेशिक भाषाएं (345-347), उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (348-349) और राजभाषा संबंधी विशेष निदेश (350-351) शामिल हैं। इसके अलावा संसद तथा विधान मंडलों की भाषा का विवरण क्रमशः भाग-5 अनुच्छेद 120 और भाग-6 अनुच्छेद 210 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से ज्ञात होता है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है एवं शासकीय प्रयोजनों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की स्वीकृति है। अनुच्छेद 351, हिंदी के सर्वांगीण विकास से संबद्ध है, जिसमें संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को इस तरह विकसित एवं प्रसारित करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना इसका शब्द भंडार समृद्ध करे। इसके अतिरिक्त संविधान में राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, और पत्राचार की भाषा से संबंधित निर्देश भी शामिल हैं।

प्रश्न 3: अष्टम अनुसूची के अंतर्गत कौन-कौन सी भाषाएं आती हैं?

उत्तर: भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली 22 भाषाएं निम्नलिखित हैं: 1. असमिया 2. ओड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलुगु 9. पंजाबी 10. बांग्ला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिंधी 15. हिंदी 16. मणिपुरी 17. नेपाली 18. कोंकणी 19. मैथिली 20. संथाली 21. बोडो 22. डोगरी।

प्रश्न 4: हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

उत्तर: संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न 5: राजभाषा और राष्ट्रभाषा को स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताएं।

उत्तर: राजभाषा का सीधा-सादा अर्थ है - राजकाज अर्थात् शासन-प्रशासन या सरकारी कामकाज की भाषा। संविधान सभा की स्वीकृति से 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी राजभाषा बनी, जो एक संवैधानिक शब्द है। राष्ट्रभाषा का अर्थ एक राष्ट्र में समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा है जो राष्ट्र में भावनात्मक एकता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी भाषा-भाषियों के बीच सेतु का काम करती है और इसका प्रयोग अखिल भारतीय स्तर पर सर्वस्वीकृत माध्यम के रूप में हो रहा है।

दोनों में मुख्य अंतर:

1. राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है।
2. समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है।
3. राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत होती है।
4. राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है।
5. राजभाषा में शब्दों का प्रवेश और निर्माण विशेषज्ञों की राय से किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्द समाज से आते हैं तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं।
6. राजभाषा, हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है, जबकि राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा का स्वाभाविक तथा पारंपरिक रूप है।
7. राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है।
8. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेजी की जगह पर हो रहा है जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वाभाविक स्वरूप से देश-विदेश सर्वत्र हो रहा है।

प्रश्न 6: हिंदी को ही राजभाषा क्यों बनाया गया?

उत्तर: हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के कई प्रमुख कारण हैं:

1. हिंदी सभी भागों में बोली तथा समझी जाने वाली आम जनता की भाषा है।
2. क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग अपने प्रदेश तक ही सीमित है जबकि हिंदी का सरोकार पूरे हिन्द (हिन्दुस्तान) से है।
3. हिंदी को सभी वर्गों का मुक्त रूप से समर्थन मिला।
4. अभिव्यक्ति की क्षमता में हिंदी अत्यंत समृद्ध भाषा है।
5. हिंदी की महत्ता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि इस भाषा में संचित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन-अध्यापन देश-विदेश में यूरोप वासियों के द्वारा प्रारंभ हुआ।

6. हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में सहयोगी भाषा रही है, जबकि अंग्रेजी भाषा ने अन्य भारतीय भाषाओं के विकसित स्वरूप को दबाए रखा।
7. हिंदी अपने लेखन और व्याकरणिक संरचना में संस्कृत के सर्वाधिक निकट है।
8. हिंदी की लिपि देवनागरी, वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त लिपि है जिसके अक्षर उदग्र, स्पष्ट और स्वस्थ आकार वाले हैं।
9. राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचार-प्रसार कम समय में ही काफी बढ़ गया था।
10. हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है, और लोकतंत्र में शासक और शासित की भाषा एक ही होनी चाहिए।
11. भारतीय भाषा के पत्र-पत्रिकाओं का हिंदी संस्करण जनता में काफी लोकप्रिय रहा था।

प्रश्न 7: प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति पर टिप्पणी लिखें।

उत्तर: राजभाषा आयोग का गठन: संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के आदेश से एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का कर्तव्य राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने और अंग्रेजी के प्रयोग को निर्बंधित करने के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजना है। 7 जून, 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे तथा उसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की विभिन्न भाषाओं से संबंधित बीस सदस्य शामिल थे। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। **राजभाषा संसदीय समिति का गठन:** संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार 1957 में राजभाषा संसदीय समिति का गठन राष्ट्रपति के आदेश से हुआ। इसमें कुल तीस सदस्य (लोक सभा से 20 व राज्य सभा से 10) थे और पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति का कार्य आयोग की रिपोर्ट की जांच करना था। 08 फरवरी, 1959 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को दे दी। आयोग तथा समिति दोनों का ही विचार था कि 1965 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कर पाना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए।

प्रश्न 8: स्वाधीन देशों में राजभाषा क्यों जरूरी है?

उत्तर: किसी भी स्वाधीन देश की सही अभिव्यक्ति उसकी अपनी भाषा में ही हो सकती है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, "जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, उसका कोई राष्ट्र भी नहीं।" इस प्रकार से राष्ट्र का अस्तित्व ही राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा ही राजभाषा भी होती है। महात्मा गांधी के अनुसार 'कोई भी देश सच्चे अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता'। सभी स्वाधीन देशों के लिए अपनी राजभाषा का होना आवश्यक है, ऐसा न होने से उन देशों को विश्व समुदाय सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।

प्रश्न 9: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार की भाषा क्या होगी? विस्तृत उत्तर:

- केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।
- केन्द्रीय सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।
- 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच आपसी पत्राचार केवल हिंदी में होगा।
- 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ख', 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।
- 'ख', 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।
- 'ग' क्षेत्र में स्थित किसी अधिसूचित कार्यालय को पत्रादि हिंदी में भेजे जाएंगे।

प्रश्न 10: राजभाषा अधिनियम, 1963 से आप क्या समझते है?

उत्तर: संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधी उपबंधों तथा राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ जिसका संशोधन 1967 में हुआ। यह अधिनियम 26 जनवरी, 1965 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी, 1965 को तथा उससे आगे भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा। केन्द्र सरकार तथा इसके अधीन कार्यालयों एवं निगमों के सभी कार्मिकों को इसी अधिनियम के अनुसार राजभाषा का प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार का काम करना है। जब तक कर्मचारी हिंदी भाषा में प्रशिक्षित नहीं हो जाते, तब तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग मान्य है। देश में राजभाषा की प्रगति का आकलन करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन करने का भी प्रावधान है।

प्रश्न 11: धारा 3(3) से आप क्या समझते हैं एवं इसके अंतर्गत आने वाले कागजात के नाम क्या हैं?

उत्तर: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 कानूनी दस्तावेज आते हैं, जिन्हें अनिवार्यतः हिंदी व अंग्रेजी में एक साथ तैयार, निष्पादित एवं जारी किया जाना चाहिए। कोई भी अधिकारी ये दस्तावेज केवल एक भाषा में निष्पादित/जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। ये 14 दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

1. **सामान्य आदेश**
2. **संकल्प**
3. **नियम**
4. **प्रेस-विज्ञप्ति**
5. **सूचना**
6. **निविदा प्रारूप**
7. **संविदा**
8. **करार**
9. **अनुज्ञप्ति**
10. **अनुज्ञा पत्र**
11. **अधिसूचना**
12. **प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन**
13. **संसद में प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन**
14. **संसद में प्रस्तुति हेतु राजकीय कागजात।**

प्रश्न 12: धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है?

उत्तर: राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाते हैं। यही राजभाषा नियम 6 है। संसदीय समिति इस धारा का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है।

प्रश्न 13: क्या 'क' क्षेत्र में धारा 3(3) के कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकते हैं?

उत्तर: यह असंगत लगता है कि 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिंदी भाषी राज्यों में केन्द्र सरकार के कार्यालय सामान्य आदेश आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें। चूँकि इन राज्यों में उक्त दस्तावेज मूल रूप से हिंदी में ही तैयार और जारी किए जाते हैं, तो केवल अधिनियम के पालन के लिए फिर से अंग्रेजी में जारी करना युक्ति युक्त नहीं लगता। संसदीय राजभाषा समिति ने भी सिफारिश की थी कि 'क' क्षेत्र में ये कागजात केवल हिंदी में ही जारी किए जाएं। किन्तु, सरकार ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) का हवाला देते हुए समिति की सिफारिश नहीं मानी, इसलिए ये पूर्व की भांति द्विभाषी रूप में ही जारी होंगे।

प्रश्न 14: राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) क्या है?

उत्तर: यह ऐसी धारा है जिसकी वजह से हमारे देश में अंग्रेजी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। इसमें लिखा है कि धारा 3(3) के कागजात में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग तब तक चलता रहेगा जब तक हिंदी को अपनी राजभाषा न बनाने वाले राज्य अंग्रेजी को हटाने के लिए अपने विधान मंडल में इस आशय का संकल्प पारित न कर लें। इतना ही नहीं, ऐसे संकल्प पर विचार कर संसद के प्रत्येक सदन भी अपने यहाँ इस आशय का संकल्प पारित करेंगे, तभी अंग्रेजी को हटाया जा सकेगा।

प्रश्न 15: कार्यालय में प्रयोग होने वाली सामग्री के अनुवाद के बारे में सरकार की क्या व्यवस्था है?

उत्तर: कार्यालय में व्यवहृत होने वाले विभिन्न प्रकार के कागजात के अनुवाद के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रकार प्रबंध किए गए हैं:

1. संविधियाँ, सांविधिक नियमों, विनियमों और अध्यादेशों का अनुवाद विधि और न्याय मंत्रालय के विधि विभाग का राजभाषा खंड करता है।
2. असांविधिक मैनुअल, संहिताओं और अन्य कार्य-विधि साहित्य का अनुवाद गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के अधीन कार्यरत केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो करता है।
3. तीनों रक्षा सेवाओं, रेल मंत्रालय, डाक-तार विभाग अपनी असांविधिक सामग्री का अनुवाद स्वयं करते हैं।
4. हर मंत्रालय/विभाग अपनी राजभाषा शाखा के सहयोग से संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदि सामग्री का अनुवाद स्वयं कराएगा।

प्रश्न 16: हिंदी अनुवादक द्वारा एक दिन में कितना अनुवाद किया जाना चाहिए?

उत्तर: हिंदी अनुवादक द्वारा किए जाने वाले अनुवाद कार्य का मानक 5 कार्य दिवसीय सप्ताह के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:

- सामान्य अनुवाद: 1750 शब्द प्रतिदिन।
- तकनीकी अनुवाद: 1350 शब्द प्रतिदिन।
- सामान्य पुनरीक्षण: 5800 शब्द प्रतिदिन और तकनीकी पुनरीक्षण: 4000 शब्द प्रतिदिन। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवादकों के लिए प्रति अनुवादक प्रतिदिन का मानक 1300 शब्द है। कोई सामग्री सामान्य है या तकनीकी इसका निर्णय वरिष्ठ हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न 17: हिंदी अनुवादकों का मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर: हिंदी अनुवादकों का मुख्य कर्त्तव्य अनुवाद करना है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों जैसे विशिष्ट अवसरों पर भी उनकी सहायता ली जा सकती है, लेकिन कार्यान्वयन संबंधी कार्यों में उनकी सहायता तभी ली जा सकती है जब उससे अनुवाद कार्य बाधित न हो।

प्रश्न 18: हिंदी अधिकारियों के कर्त्तव्य क्या हैं? क्या उनसे निर्धारित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिए जा सकते हैं?

उत्तर: हिंदी अधिकारियों के कार्य हैं - अनुवाद करना, अनुवाद का पुनरीक्षण करना, विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीति की जानकारी देना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था और कार्यशालाएं आयोजित करना, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में बैठकें आयोजित करना, सहायक और संदर्भ-साहित्य तैयार करना तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। हिंदी अधिकारियों/अनुवादकों से केवल निर्धारित कार्य ही लिए जाएं। यदि किसी कार्यालय में राजभाषा का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है और उन्हें समय मिले तब ही उन्हें अतिरिक्त कोई कार्य दिया जाए। हिंदी अधिकारी का कैडर संवर्ग बाह्य है, इसलिए प्रशासनिक रूप से भी उन्हें अन्य जिम्मेदारियां नहीं दी जा सकतीं।

प्रश्न 19: राजभाषा नियम-1976 को स्पष्ट करें।

उत्तर: राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (4) एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राजभाषा नियम, 1976 बनाया, जिसका संशोधन 1987 में हुआ। यह नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है और इसका अनुपालन भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, उपक्रम आदि करेंगे। इसके तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिया जाएगा। 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में सामान्यतः हिंदी का प्रयोग सभी प्रकार के पत्राचार में किया जाएगा। नियम 10(2) एवं 10(4) के अनुसार जिस कार्यालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं, उसे अधिसूचित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इन नियमों के अधीन जारी

दस्तावेजों का अनुवाद साथ भेजा जाएगा। कर्मचारियों को केवल तभी हिंदी में प्रवीण माना जाएगा जो मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण हैं या घोषणा करते हैं। नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष आदि द्विभाषी होंगे।

प्रश्न 20: राजभाषा नियम 1976 के अधीन 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों का वर्गीकरण तथा उसका उद्देश्य स्पष्ट करें।

उत्तर: राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग और क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत को 3 भाषा क्षेत्रों 'क' 'ख' एवं 'ग' में वर्गीकृत किया गया है।

- **'क' क्षेत्र** का तात्पर्य है—हिंदी भाषी क्षेत्र अथवा जिन क्षेत्रों की सरकार ने हिंदी को राजभाषा माना है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह आते हैं।
- **'ख' क्षेत्र** का तात्पर्य है—अर्ध हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात् जहां की भाषा या लिपि हिंदी या देवनागरी से समानता रखती है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन, दीव तथा दादरा व नगर हवेली आते हैं।
- **'ग' क्षेत्र** का अर्थ है—हिंदीतर भाषी क्षेत्र अर्थात् जहां की भाषा या लिपि हिंदी से अलग है। उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों के अलावा शेष सभी राज्य/संघ राज्य 'ग' क्षेत्र में आते हैं।

प्रश्न 21: हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है?

उत्तर: ऐसे कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाता है जिसने- क. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या ग. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

प्रश्न 22: हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है?

उत्तर: ऐसे कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाता है जिसने- i) मैट्रिक या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या ii) केन्द्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या कोई विनिर्दिष्ट निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि वह प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि किसी कार्यालय के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

प्रश्न 23: किसी कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुपालन का दायित्व किसका है?

उत्तर: केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय/उपक्रम/बैंक में सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की जिम्मेदारी उस कार्यालय के अध्यक्ष (प्रशासनिक प्रधान) की है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और नियमों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच के उपाय करे।

प्रश्न 24: केन्द्रीय सरकार के कार्यालय किसे कहते हैं?

उत्तर: केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से तात्पर्य है: i) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय। ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या अधिकरण का कार्यालय। iii) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी का कार्यालय।

प्रश्न 25: राजभाषा नियम 5 क्या है?

उत्तर: राजभाषा नियम 5 के अनुसार, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से अनिवार्यतः हिंदी में ही दिए जाएंगे।

प्रश्न 26: सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली मुहरों के विषय में सरकार के क्या निर्देश हैं?

उत्तर: केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए रबर की मुहरों सहित सभी लेखन सामग्री, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ध्यान रहे हिंदी में लिखे गए लेख अंग्रेजी से पहले/ऊपर रहने चाहिए और हिंदी के अक्षरों का आकार अंग्रेजी के अक्षरों के आकार से छोटे नहीं होने चाहिए।

प्रश्न 27: क्या सार्वजनिक स्थानों पर लगे बोर्ड केवल अंग्रेजी में हो सकते हैं?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। केन्द्र सरकार और इसके अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के कार्यालय अपने नाम पट्ट, साइन बोर्ड या प्रदर्शन पट्ट में अनिवार्य रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। इनमें हिंदी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी से पहले/ऊपर किया जाएगा और हिंदी के अक्षरों का आकार अंग्रेजी के अक्षरों के आकार से छोटा नहीं होना चाहिए। यदि देवनागरी में लिखे शब्दों की वर्तनी गलत हो तो इसे तुरंत ठीक कराया जाए।

प्रश्न 28: क्या 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में आयोजित बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त केवल हिंदी में जारी कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ। 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि की विभागीय और अंतर्विभागीय बैठकों की कार्यसूचियां, उन पर टिप्पणियां और कार्यवृत्त केवल हिंदी में जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते उनका परिचालन केवल 'क' क्षेत्र में ही किया जाना हो।

प्रश्न 29: क्या राजभाषा संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है?

उत्तर: हाँ। यद्यपि राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार की नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की है, तथापि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जान-बूझ कर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

प्रश्न 30: क्या हिंदी में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इसकी प्रविष्टि की जा सकती है?

उत्तर: हाँ। केन्द्र सरकार के सभी क, ख, ग श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में किए गए सराहनीय कार्य का उल्लेख उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के 'पत्र व्यवहार में कुशलता' संबंधी कॉलम में किया जाए। यदि यह कॉलम नहीं है तो 'टिप्पणी और मसौदा लिखने की कोटि' अथवा 'निर्धारित रजिस्टरों तथा चार्ट्स आदि के रख-रखाव' में उनके द्वारा हिंदी में किए गए सराहनीय कार्य का उल्लेख किया जाना चाहिए।

प्रश्न 31: नियम 8(4) के अंतर्गत कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने का क्या तात्पर्य है?

उत्तर: यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं तो उसे राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। कार्यालय के अधिसूचित हो जाने के बाद केन्द्र सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों या उनमें किन्हीं शाखाओं को नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी अपना सम्पूर्ण कार्यालयी कार्य केवल हिंदी में करेंगे।

प्रश्न 32: राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित जाँच बिन्दुओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर: राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मुख्य जाँच बिन्दु इस प्रकार हैं:

1. सामान्य आदेश तथा धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना।
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना।
3. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजना।
4. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखना।
5. देवनागरी टाइपराइटरों/कंप्यूटरों की खरीद करते समय यह सुनिश्चित करना कि सभी कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा हो।
6. फार्मों, कोडों, मैनुअल और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन।
7. रबर की मुहरें, नाम पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना।
8. सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ हिंदी में करना।
9. अधिकारी की यह सामान्य जिम्मेदारी है कि जो पत्र हिंदी या द्विभाषी जारी होने चाहिए, वे उसी रूप में जारी हों।

info@rajbhashahindi.com +917980006871

प्रश्न 33: सरकारी कामकाज में किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करना चाहिए?

उत्तर: सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी सरल और सुबोध होनी चाहिए। टिप्पणी या मसौदा लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न हम संस्कृत लिख रहे हैं, न देवनागरी लिपि में अंग्रेजी। कार्यालय में अक्सर प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग देवनागरी में किया जा सकता है (जैसे फाइल, रजिस्टर, कंप्यूटर आदि)। जहां लगे कि तकनीकी शब्द समझने में कठिनाई हो सकती है, वहां कोष्ठक में अंग्रेजी रूप भी लिखा जा सकता है।

प्रश्न 34: फाइल पर टिप्पणी किस भाषा में लिखनी चाहिए?

उत्तर: केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। तथापि, यदि वह कार्यालय या उसकी कोई शाखा नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है तो उसमें पदस्थ ऐसा कर्मचारी जिसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, फाइल पर टिप्पणी हिंदी में ही लिखेगा।

प्रश्न 35: क्या हिंदी टंकण न जानने वाले टंककों को कार्यालय में भी टंकण कार्य सिखाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। चूँकि प्रायः हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय से दूर होते हैं, ऐसे कर्मचारियों को हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि कार्यालय परिसर में ही सिखाई जा सकती है। इसके लिए कार्यालय के किसी हिंदी टंकण/आशुलिपि जानने वाले कर्मचारी से अनुदेशक की सेवाएं ली जा सकती हैं। अनुदेशक को प्रति प्रशिक्षार्थी निर्धारित दर से प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है।

प्रश्न 36: हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के बारे में सरकार के क्या निर्देश हैं?

उत्तर: अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए और हिंदी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर अभ्यास का अवसर मिले। प्रत्येक कार्यालय को वर्ष में कम से कम 4 (प्रत्येक तिमाही में एक) कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने के लिए संगोष्ठियां, कवि सम्मेलन आदि भी आयोजित किए जाएं।

प्रश्न 37: राजभाषा के प्रसार हेतु गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: राजभाषा संकल्प 1968 के अनुपालन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने के लिए हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इसमें पिछले वर्ष के किए गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर चालू वर्ष के लिए 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी प्रयोग के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

प्रश्न 38: राजभाषा संकल्प 1968 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: राजभाषा संकल्प 1968 दिनांक 18-01-1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसके अनुसार:

1. हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
2. आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के विकास के लिए राज्यों के सहयोग से कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
3. त्रिभाषा-सूत्र सभी राज्यों में लागू किया जाएगा।
4. संघ लोक सेवा की भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी एक का ज्ञान अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा और भविष्य में सभी भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

प्रश्न 39: 'त्रिभाषा सूत्र' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: स्वतंत्रता के बाद हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर त्रिभाषा शिक्षण पद्धति को लागू करना आवश्यक समझा गया, जिसकी अनुशंसा कोठारी आयोग ने भी की। इस सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, वरीयतः दक्षिण भारत की भाषाओं में से कोई एक पढ़नी थी। इसी प्रकार हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भी पढ़नी थी। कई राज्यों की असहमति के कारण यह सूत्र पूर्णतः लागू नहीं हो सका।

प्रश्न 40: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के बारे में क्या निर्देश हैं?

उत्तर: राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्देश है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुस्तकालय के लिए उपलब्ध अनुदान का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाए। हिंदी पुस्तकों में ई-बुक, सीडी/डीवीडी, अनुवाद पर व्यय की गई राशि तथा हिंदी में लिखी गई पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तकालय में संदर्भ ग्रंथ, कार्यालय के कार्य से संबंधित हिंदी पुस्तकें, सरल तथा रोचक भाषा में लिखी पुस्तकें, तथा मान्य रचनाकारों की अनूदित कृतियाँ खरीदी जानी चाहिए।

प्रश्न 41: राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए गठित विभिन्न समितियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं कार्यक्रम निर्धारण के लिए निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं:

1. **केन्द्रीय हिंदी समिति:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति सभी सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु समन्वय का कार्य करती है।
2. **केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति:** सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में यह समिति विभिन्न मंत्रालयों की समितियों के कार्यों में तालमेल रखती है।

3. **हिंदी सलाहकार समिति:** संबंधित मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता में गठित यह समिति अपने मंत्रालय में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करती है।
4. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति** (TOLIC): देश के उन नगरों में (जहां 10 या अधिक केन्द्रीय कार्यालय हों) वरिष्ठतम अधिकारी की अध्यक्षता में यह समिति गठित होती है।
5. **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति:** प्रत्येक कार्यालय स्तर पर कार्यालय प्रधान की अध्यक्षता में गठित यह समिति तिमाही बैठकों में हिंदी प्रगति की समीक्षा करती है।

प्रश्न 42: संसदीय राजभाषा समिति का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के तहत गठित इस समिति में 30 सदस्य (20 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से) होते हैं। इसका कर्तव्य है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। जनवरी 1976 में गठित इस समिति के पदेन अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। समिति ने अब तक 9 खंडों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह भारत की एकमात्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जो सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है।

प्रश्न 43: संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?

उत्तर: निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए:

1. निरीक्षण प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचनाएं सही, सटीक और तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। झूठे, गलत या बनावटी आंकड़े नहीं देने चाहिए क्योंकि जानकारी क्रॉस चेक की जा सकती है।
2. निरीक्षण कक्ष समिति की गरिमा के अनुकूल शांत और सुविधाजनक होना चाहिए।
3. अनुशासन का ध्यान रखा जाए; केवल उसी सदस्य को बोलना चाहिए जिससे माननीय सदस्य प्रश्न करें।
4. समिति को दिए गए उत्तर स्पष्ट, सार्थक और तार्किक होने चाहिए।

प्रश्न 44: संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रेक्षणों (Observations) में किन बातों पर विशेष बल दिया है?

उत्तर: समिति ने निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया है:

1. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए।
2. कार्यालय की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी हो।
3. सभी कंप्यूटरों में हिंदी में काम करने की सुविधा (यूनिकोड) दी जाए।
4. 'क', 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त सभी अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।
5. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर पुस्तकालय बजट का 50 प्रतिशत खर्च हो।
6. विज्ञापन एवं प्रचार पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत हिंदी विज्ञापनों पर किया जाए।

7. धारा 3(3) के कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाएं।
8. पूरा काम हिंदी में करने के लिए अनुभाग विनिर्दिष्ट किए जाएं और प्रवीण कर्मियों को नियम 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।

प्रश्न 45: क्या केन्द्र सरकार के कार्यालयों के विज्ञापन केवल अंग्रेजी में प्रकाशित हो सकते हैं?

उत्तर: नहीं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अखिल भारतीय एवं अन्य विज्ञापन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में (तथा आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में भी) प्रकाशित होने चाहिए। हिंदी में प्रकाशित विज्ञापन पर किया गया व्यय, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापनों पर किए गए व्यय से कम नहीं होना चाहिए। चूँकि हिंदी विज्ञापनों की लागत कम आती है, इसलिए इन्हें मुख्य पृष्ठों पर तथा बड़े आकार में या रंगीन छपवाना चाहिए ताकि व्यय समायोजित हो सके।

प्रश्न 46: देवनागरी लिपि से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी भारत की राजलिपि है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो सम्राट अशोक के समय में राष्ट्रीय लिपि थी। देवनागरी के प्राचीनतम लेख सातवीं सदी के मिलते हैं। अष्टम अनुसूची की 22 भाषाओं में से कई भाषाएं (मराठी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, बोडो आदि) देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी के अक्षर समग्र, स्पष्ट और स्वस्थ आकार वाले हैं तथा यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है।

प्रश्न 47: अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाएँ किन लिपियों में लिखी जाती हैं?

उत्तर: अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं: असमिया (असमिया), ओड़िया (ओड़िया), उर्दू (देवनागरी, शारदा, अरबी-फारसी), कन्नड़ (कन्नड़), कश्मीरी (देवनागरी, अरबी-फारसी), गुजराती (गुजराती), तमिल (तमिल), तेलुगु (तेलुगु), पंजाबी (गुरुमुखी), बांग्ला (बांग्ला), मराठी, संस्कृत, हिंदी, नेपाली (देवनागरी), सिंधी (देवनागरी, अरबी, लंडा, गुरुमुखी), कोंकणी (देवनागरी, कन्नड़, मलयालम, अरबी, रोमन), मणिपुरी (पूर्वी नागरी, मैतैमयक्), मैथिली (कैथी, मिथिलाक्षर, देवनागरी), संथाली (लैटिन, ओलचिकी, देवनागरी), बोडो (देवनागरी, असमिया, रोमन), डोगरी (देवनागरी, टकरी, अरबी-फारसी)।

प्रश्न 48: हिंदी के संख्यावाचक शब्दों के मानक रूप क्या हैं?

उत्तर: हिंदी संख्याओं के उच्चारण और लेखन में एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने एक से सौ तक मानक रूप स्वीकृत किए हैं। जैसे: एक, दो, तीन, चार, पांच... ग्यारह, बारह... इक्कीस, बाईस... इकतीस, बत्तीस... इकतालीस... इक्यावन... इकसठ... इकहत्तर... इक्यासी... इक्यान्वे, बानवे... निन्यानवे, सौ।

प्रश्न 49: सरकारी कार्यालयों में किन अंकों का प्रयोग करना चाहिए?

उत्तर: हिंदी में देवनागरी अंक (१, २, ३, ४...) और अन्तर्राष्ट्रीय अंक (1, 2, 3, 4, 5...) प्रचलित हैं। सरकारी कार्यों के लिए देवनागरी अंकों को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रश्न 50: हिंदी में किसी व्यक्ति के नाम का संक्षिप्ताक्षर लिखने की विधि क्या है?

उत्तर: हिंदी में किसी व्यक्ति के नाम का संक्षिप्त रूप लिखने की 3 विधियां हैं। उदाहरणार्थ, यदि नाम राम गोपाल वर्मा है तो वह: 1. आर.जी. वर्मा, 2. रा.गो. वर्मा, या 3. र.ग. वर्मा लिख सकता है। हिंदी की प्रकृति के अनुसार 'रा.गो. वर्मा' लिखना सबसे उपयुक्त है।

प्रश्न 51: केन्द्रीय हिंदी निदेशालय की महत्ता पर प्रकाश डालें।

उत्तर: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इस निदेशालय की स्थापना 01-03-1960 को हिंदी के सर्वांगीण विकास और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की गई। यह संस्थान हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण, प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की पुस्तकों व शब्दकोशों का निर्माण, देश-विदेश में पुस्तकों का वितरण, स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान, पत्राचार पाठ्यक्रम का संचालन तथा देशी-विदेशी भाषाओं में द्विभाषी/त्रिभाषी कोश तैयार कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है।

प्रश्न 52: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक क्या हैं?

उत्तर: मानक इस प्रकार हैं:

1. 100 या अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी।
2. 'क' क्षेत्र में 18-125 कर्मचारियों वाले कार्यालय में 01 कनिष्ठ अनुवादक, 126 से अधिक के लिए 02 कनिष्ठ अनुवादक।
3. 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में 18-75 कर्मचारियों पर 01 कनिष्ठ अनुवादक, 76-125 पर 02, 126-175 पर 03 कनिष्ठ अनुवादक, और 175 से अधिक पर 03 कनिष्ठ अनुवादक तथा 01 वरिष्ठ अनुवादक। 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में जहाँ 25 कर्मचारी हों, वहाँ 01 हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए।

प्रश्न 53: किसी कार्यालय की गृह पत्रिका में किस प्रकार की सामग्री दी जानी चाहिए?

उत्तर: गृह पत्रिकाओं में केवल कविता, कहानी आदि ललित साहित्य न देकर निम्नलिखित सामग्री को प्रमुखता देनी चाहिए: राजभाषा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश, हिंदी सलाहकार एवं कार्यान्वयन समितियों के निर्णय, राजभाषा के महत्व पर लेख, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी की निकटता दर्शाने वाली सामग्री, पुरस्कार योजनाओं का विवरण, कार्यरत

अधिकारियों द्वारा लिखे गए तकनीकी/प्रशासनिक मौलिक लेख, तथा कार्यालय में प्रयोग की जा रही टिप्पणियां एवं प्रारूप के नमूने। पत्रिका द्विभाषी/त्रिभाषी होने पर सभी भाषाओं की पृष्ठ संख्या और शीर्ष समान रखे जाएं।

प्रश्न 54: क्या सरकारी पदों की भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार में हिंदी का ऐच्छिक प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की अधीनस्थ सेवाओं और गैर तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति है। साक्षात्कार के लिए निमंत्रण-पत्र द्विभाषी जारी किए जाएं और उसमें यह स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। चयन बोर्ड के सदस्यों को हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए।

प्रश्न 55: राजभाषा विभाग की अवधारणा तथा उसके कार्य क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के स्वतंत्र विभाग के रूप में जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। इसके कार्य हैं: राजभाषा उपबंधों का कार्यान्वयन, हिंदी शिक्षण योजना का संचालन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व सामग्री तैयार कराना, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का संवर्ग प्रबंधन, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का समन्वय और संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने के कारण संसदीय समिति ने इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देने की सिफारिश की है।

प्रश्न 56: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का सामान्य परिचय दीजिए।

उत्तर: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा समान सेवा शर्तें व पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु 1981 में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन किया गया था। राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। इसमें कुछ वैज्ञानिक विभागों को छोड़कर भारत सरकार के सभी हिंदी पद शामिल हैं। छठे वेतन आयोग के बाद इसमें पदों की पुनर्संरचना की गई है, जिसमें समूह 'क' और 'ख' के पदों में बढ़ोत्तरी/उन्नयन किया गया है तथा रिक्तियों को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है।

प्रश्न 57: विश्व हिंदी सम्मेलन क्या है और अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं?

उत्तर: हिंदी भाषा के विश्वव्यापी प्रसार और विभिन्न देशों में हो रहे हिंदी कार्यों के समन्वय के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है। अब तक 8 सम्मेलन हो चुके हैं: नागपुर (1975), पोर्ट लुई, मॉरीशस (1976), नई दिल्ली (1983), पोर्ट लुई (1993), पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद टोबैगो (1996), लंदन (1999), पारामारिबो, सूरीनाम (2003), और न्यूयॉर्क, अमरीका (2007)।

प्रश्न 58: 'हिंदी' शब्द किस भाषा का है?

उत्तर: 'हिंदी' शब्द फ़ारसी भाषा का है। (इसी प्रकार 'उर्दू' शब्द तुर्की भाषा का और 'अंग्रेजी' शब्द फ्रांसीसी भाषा का है)।

प्रश्न 59: हिंदी किस क्षेत्र की भाषा है?

उत्तर: आज जिसे हम हिंदी कहते हैं, वह खड़ी बोली पर आधारित है जो मूलतः मेरठ, सहारनपुर और पूर्वी दिल्ली की भाषा है। व्यापक अर्थ में हिंदी 20 बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी बोलियां शामिल हैं। हिंदी प्रदेश की सीमाएं पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से नेपाल के पूर्वी छोर तक, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण में रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक विस्तीर्ण हैं।

प्रश्न 60: तकनीकी शब्दावली का निर्माण कौन करता है?

उत्तर: तकनीकी शब्दावली का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' करता है (जिसका कार्यालय नई दिल्ली में है)। विधि शब्दावली का निर्माण भारत सरकार के विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) का राजभाषा खंड करता है।

धन्यवाद!

इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।

यदि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों एवं सहकर्मियों के साथ साझा करें।

नवीनतम अध्ययन सामग्री एवं अपडेट के लिए

- **Website:** https://rajbhashahindi.com/
- **Email:** info@rajbhashahindi.com
- **WhatsApp:** +917980006871
- **Telegram:** @RajbhashaHindi4u

आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं

यदि आपको इस पुस्तक में कोई त्रुटि, अद्यतन जानकारी अथवा सुधार का सुझाव देना हो, तो कृपया हमें ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से अवगत कराएँ।

संस्करण

संस्करण : 2026–27

अगली पुस्तक

- **राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक कार्यक्रम (व्याख्यासहित)**
- SSC JHT Complete Notes
- 1000+ Rajbhasha MCQs
- Translation Practice Workbook

जल्द उपलब्ध...